छत्तीसगढ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-40 / 2005 / 10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/02/2025 प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड नई दिल्ली – 110003।

विषयः— Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s South Eastern Coalfields Limited (SECL) for diversion of 174.925 ha (Originally proposed area 206.638 ha.) of forest land for Deepika Expansion Open Cast Mining Project in Korba District, in the State of Chhattisgarh (Online Proposal No. FP/CG/MIN/1452/2006)- regarding.

- संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-80/2006-FC, दिनांक 30.09.2024।
 - 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/ 102 / 247, दिनांक 24.01.2025।

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2, दिनांक 2/-24.01.2025 के माध्यम से उक्त वांछित जानकारी प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी करने का अनूरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (72 पृष्ठीय)।

(सयक पाण्डेय) संयुक्त सचिव छत्तीसगढ शासन, क्न एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–40 / 2005 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक*॰ ५*/ 02 / 2025 प्रतिलिपि :--

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपूर, अटल नगर, छत्तीसँगढ।

5186 OC

2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त सचिव छत्तीसगढ शासन, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

Contraction of the second

पंजी क्रमांक. 1474 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002 ू स्टूरमाषः 0771 – 2512840 a way (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध) ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in रायपुर, दिनांक2्रै \$≁01∕2025 मू-प्रबंध/खनिज/102/ 247 adla Secy (AP) 町市町、町一 अपर मुख्य सचिव P 5 E छत्तीसगढ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन F नवा रायपुर, अटल नगर Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 विषयः– (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) for diversion of 174.925 संदिय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग favour of M/s South Eastern Coalfields Limited (SECL) for diversion of 174.925 ha (Originally proposed area 206.638 ha.) of forest land for Deepika Expansion Open Cast Mining Project in Korba District, in the State of Chhattisgarh (Online Proposal No. FP/CG/MIN/1452/2006) - reg. 🖓 संदर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 30-09-2024 1. AHIA. 40 मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 263 बिलासपुर दिनांक 21.01.2025 10 2. -00-विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा 05 बिन्दुओं (19/14) Ch की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। उक्त के अनुक्रम में संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्रेक्षा अनुसार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:– SN. ADS Raised by MoEF&CC vide letter बिन्दुवार जानकारी वन एवं ज.प.वि No. dated: 30.09.2024 360 1 The State Government shall ensure that CA क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (349.85 हे.) और दाण्डिक and Penal CA will be carried over (105 ha+ क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (101.744 हे.) के कुल 452 हे. 347 ha) DFL identified in Mahasamund Forest के लिए सभी भूगतान कैम्पा खाते में जमा कर दिए Division and Surajpur Forest Division. गए हैं। कैम्पा विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। दनाव 2 The User Agency shall return /surrender एक बार खनन गतिविधियां पूरी हो जाने और भूमि /handover the forest area where mining has पर रिक्लेमेशन हो जाने तथा इसका खनन या already been done and the land is not being किसी अन्य उददेश्य के लिए उपयोग न किए जाने used for mining or any other purpose to the पर आवेदक संस्थान वन क्षेत्र को राज्य सरकार को State Government. A plan in this regard shall वापस करने / समर्पित करने / सौंपने कें लिए be submitted. सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र (S (M अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है। तदनुसार, खदान बंद करने की गतिविधि US(S) पूरीहोने के बाद वनभूमि छ.ग. शासन वन विभाग को सौंप दी जाएगी। 55- Letter Minig 202

1		200 (一西)
3	The proposed land is inpossession of the User Agency and some area was broken without approval, which was considered while according to Stage-lapproval and penal CA was imposed. However, keeping in view the fact that the mining has been done without approval and the broken up area is in continuous possession of user agency without Stage-II approval where incertain infrastructure has also been built, therefore the penalty for violation shall be equal to the NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest from the date of raising of such demand till the deposit is made.	भुगतान दिनाक 27.11.2024 की आपपप से हैं। द्वारा कैम्पा खाते में जमा कर दिया गया है। भुगतान रसीद अनुलग्नक–IV के रूप में संलग्न है।
4	Keeping in view the fact that the area proposed for diversion is within the possession of User Agency without a valid approval and the orders of Hon'ble Supreme Court for the mines pertaining to SECL, the Regional Office shall separately examine the matter and initiate action u/s 3A/3B, if applicable. The State Government shall ensure that corrective measures for the maintenance of safety zone, top soil management and other issues raised by Regional Office are taken by the user agency within a period of three months from the issue of Stage-II approval.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय नवा रायपुर से संबंधित है। टॉप सॉइल मैनेजमेंट और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के लिए किए जाने वाले किसी भी सुधारात्मक उपाय के लिए भुगतान करने के लिए सहमत है और इस संबंध में वचन पत्र अनुलग्नक–V के रूप में संलग्न है। IG (Forest), IRO MoEF&CC, रायपुर के दीपका विस्तार परियोजना के निरीक्षण के दौरान किए गए अवलोकन (अनुलग्नक–VI) के अनुसार SMC कार्यों के लिए 1,30,46,407/– रूपये
		वनमंडलाधिकारी कटघोरा के पी.डी. खाते में जमा की जा चुकी है। (अनुलग्नक–VII) । सुरक्षा क्षेत्र के विकास और रखरखाव के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को कार्य आदेश दिनांकः 15.03.2024 जारी किया गया है (अनुलग्नक–VIII) और सुरक्षा क्षेत्र का कार्य प्रगति पर है। (फोटोग्राफ अनुलग्नक–IX के रूप में संलग्न हैं)।

अतः संदर्भ पत्र–1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त से प्राप्त 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त

जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु मय संलग्नकों सहित 02 प्रतियों में प्रेषित है ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार (2 प्रतियों में)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू – प्रबंध⁄वन (सं एवं सं) अ.) छत्तीसगढ़

1475